अनुस्मारक-1

संख्या-05/2025/748 /सैंतालीस-का-1-2025-13(1)/2022

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2025**

विषय:- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 15 अगस्त, 2025 तक संपन्न कराया जाना ।

महोदय,

कृपया चयन वर्ष 2025-26 (दिनांक 01 जुलाई 2025 से दिनांक 30 जून, 2026 तक) की पदोन्नति से भरे जाने वाली रिक्तियों के संबंध में दिनांक 15-08-2025 तक कार्यवाही किए जाने के संबंधी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या-02/2025/235/का-1-2025-13(01)/2025, दिनांक 02 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्नांकित दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे:-

2.1 चयन वर्ष 2025-26 (दिनांक 01 जुलाई 2025 से दिनांक 30 जून, 2026 तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाय।

2.2 विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिन्हें मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु विहित प्रक्रिया/प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम 31 जुलाई, 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये, अन्यथा की स्थिति में विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करना होगा।

2.3 ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जानी है अथवा ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक पूर्ण कर/करा लिया जाय।

2.4 पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियों जिन पर पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है, पर चयन कराए जाने हेतु प्रस्ताव/अधियाचन, लोक सेवा आयोग को समयबद्ध रूप से प्रेषित कर दिया जाए |

3- उपर्युक्त के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पूर्व निर्गत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए ,चयन वर्ष 2025-26 की सम्पूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 15.09.2025 तक अवश्य पूर्ण कराने का कष्ट करें। समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध उनके नियंत्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-05/2025/748 /सैतालीस-का-1-2022-13(1)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।